अमर ज्योति स्कूल ऑफ नर्सिंग, चान्हों

रजिस्टर्ड अण्डर सोसाईटी रजिस्ट्रेशन ऐक्ट XXI 1860 रजिस्ट्रेशन नं. 342/2005–2006, दिनांक 30 जनवरी 2006

पी.ओ. – चान्हों , जिला – रॉची पिन नं.– 835214

झारखण्ड

अमर ज्याति स्कुल ऑफ नर्सिंग

''आशाहीनों के लिए आशा की किरण बनें''

अमर ज्योति स्कुल ऑफ नर्सिंग प्रेरितों की रानी धर्म समाज के संस्थापक फा. अन्तोनिस मरिया बोडविग का एक सपना है। आज से लगभग 25 वर्ष पूर्व इस धर्म समाज की बहनों ने झारखण्ड के इस क्षेत्र चान्हों में प्रवेश किया उस समय यह स्थान मात्र एक जंगल था। दिन ढलते गये और परिस्थिति में सुधार आया, लोग धीरे धीरे शिक्षा की ओर जागरूक होने लगे, फलतः हमारे अनेको जवान भाई बहनें घर से बाहर रोजगार की खोज में जाने लगे। इसी बीच हमारे धर्मसमाज की बहनों की प्रबल इच्छा जाग उठी कि हम इन युवाओं को रोजगार एवं सेवा का एक अवसर दें अतः लोगों की सेवा हेतु यह अस्पताल 1997 ई. में खोला गया और सुदूर गाँव को इस अस्पताल की सेवा उपलब्ध करायी जाती है जहाँ हम प्रत्येक व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए सेवा करती हैं इतना ही नहीं पिछड़े आदिवासी लड़कियों को प्रशिक्षित कर जीवन में ऊपर उठाने और उन्नत समाज के समक्ष लाने के लिए यह 2 वर्षों का परिचारिका प्रशिक्षण शुरू किया गया। हमारा उद्देश्य है – इस क्षेत्र की जनता को आवश्यक स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध कराना और इसी क्षेत्र की आदिवासी युवतियों का उत्थान प्रशिक्षित और दक्षता प्रदान कर उन्हें अपने पैरों पर खड़ा होने में मदद करना है।

लक्ष्य

- ❖ व्यक्ति को इस योग्य बनाना कि वह रोगी तथा समाज को जरूरी पोषण तथा चिकित्सकीय सेवा दे सकें।
- ❖ नर्सों को इस योग्य बनाना कि वे व्यक्तिविशेष परिवार तथा समाज को स्वास्थ्य सेवा दे सकें तथा संबंधित समूहों के साथ सामंजस्य स्थापित कर सेवा दे सके।

उद्देश्य –

- ○ स्वास्थ्य स्थिति का अवलोकन करना, नर्सिंग सेवा की आवश्यकता जानना और नर्सिंग योजना बनाना। नर्सिंग सेवा कार्यान्वित करना तथा व्यक्ति विशेष, परिवार तथा समुदाय को मिलने वाली सेवा का अवमूल्यन करना।
- ○ ज्ञानार्जन के साथ उन वैज्ञानिक सिद्धान्तों, तकनीकों की समक्ष रखना जो नर्सिंग में प्रयुक्त होते हैं।
- ○ ज्ञान पाना, कला एवं अच्छी मनोवृति प्रदान करना जो रोगी को अस्पताल एवं समाज में अच्छी नर्सिंग सेवा देने के लिए जरूरी है।
- ○ स्वास्थ्य समूह एवं समुदाय के साथ कार्य करते हुए नेतृत्व की कला का सृजन करना।
- ○ व्यक्ति विशेष की उन्नति के लिए जारी शिक्षा की आवश्यकता को पहचानना।
- ○ ज्ञान पाना तथा स्वास्थ्य सेवा देने की कला प्रदान करना और स्वयं को परानुभूति प्रदर्शित करते हुए दया तथा प्यार से सेवा देने के लायक बनाना।
- ○ खीस्तीय चिकित्सकीय नीतिशास्त्र का अध्ययन एवं समर्थन करते हुए समर्पित आत्मा का विकास करना।
- ○ व्यापारिक स्वास्थ्य सेवाओं की दुनिया में सेवा करने की खीस्तीय दृष्टि संचारित करना तथा इसका अभ्यास करना।
- ○ प्रत्येक व्यक्ति को जिसकी सेवा हम करते हैं उसे आत्मिक सहायता पहुँचाना जिससे बीमारी एवं स्वास्थ्य लाभ की अनुभूति उसके व्यक्तिगत विकास में परिवर्तित हो।
- ○ समाज में स्वास्थ्य सुधार एवं बीमारी के इलाज हेतु बहु–आयामी कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करना।

प्रशिक्षण काल

प्रशिक्षण अवधि	–	2 वर्ष
भाषा	–	हिन्दी / अंग्रेजी

प्रवेश योग्यता

- जो बोर्ड प्रथम बार में उतीर्ण हो और 10+2 (आई.ए. / आई.एस.सी.) किये हो उन्हें ही प्राथमिकता दी जाएगी।
- जो मानसिक एवं शारीरिक रूप से पूरी तरह स्वस्थ हो।
- प्रवेशार्थी की न्यूनतम आयु प्रवेश` समय 18 वर्ष पूरी हो और अधिकतम आयु 35 वर्ष हो ।
- आवेदिका अविवाहित हो।
- ऊँचाई 148 से.मी. और वजन 40 कि.ग्रा. हो।
- जो इस क्षेत्र के गरीब लोगों की सेवा करने के लिए इच्छुक हो।
- जे प्रशिक्षण के बाद सुदूरवर्ती गाँवों में रहकर काम करना चाहती हो।
- आवेदिका को विहित–प्रपत्र में आवेदन देना है। यह प्रपत्र 1 अप्रैल – 30 जून तक प्राचार्या के कार्यालय से 500 रू. शुल्क पर प्राप्त किया जा सकता है। (नर्सिंग स्कूल झारखण्ड परीक्षा समिति के अधीन है)
- पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्रों की छायाप्रति जिसमें जन्मतिथि अंकित हो, 30 जून तक कार्यालय में जमा करें।
- आवेदन पत्र के साथ स्वपता लिखा लिफाफा 12”x4” जिस पर 5 रूपये का टिकट चिपका हो जमा करें।
- आवेदन प्रपत्र प्रशिक्षण केंद्र के निम्नलिखित पते से प्राप्त किया जा सकता है –

अमर ज्योति स्कुल ऑफ नर्सिंग
(ए.एन.एम स्कुल)
ग्राम +पी.ओ. – चान्हों
झारखण्ड, पिन – 835214

चयन एव नामांकन

(क) सीमित आवेदिकाएँ जो 10+2 परीक्षा के आधार पर योग्यता (Merit) प्राप्त है, उन्हें ही लिखित परीक्षा एवं व्यक्तिगत साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा।

(ख) जो आवेदिकाएँ साक्षात्कार के लिए बुलाई जाएँगी उन्हें निम्नलिखित प्रमाण पत्रों की मूल प्रति (Original copy) लाना अनिवार्य है –

1. मैट्रिक / एस. एस. एल. सी. प्रमाण पत्र
2. विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र
3. इंटर (10+2) के प्रमाण पत्र
4. इंटर (10+2) के अंक पत्र विद्यालय /महाविद्यालय जहाँ आवेदिका अंतिम बार अध्ययनरत थी, के प्राचार्य द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र
5. दो सिफारिश पत्र
   – पहला–विद्यालय /महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा निर्गत, जहाँ आवेदिका अंतिम बार अध्ययनरत थी।
   –दूसरा – पल्ली पुरोहित द्वारा प्रदत सिफारिश पत्र

(ग) आवेदिका को साक्षात्कार के समय ठहरने की व्यवस्था स्वयं करनी होगी।

(घ) सभी चयनित आवेदिकाओं की पूर्ण रूप से चिकित्सकीय जाँच (Medical Checkup) प्रेरितों की रानी हॉस्पीटल में स्वयं के खर्च पर कराना होगां

(ड.) मेधा सूची (Merit basis) के आधार पर ही नामांकन होगा तथा एक परिवार से केवल एक ही आवेदिका का नामांकन होगा।

(च) अपूर्ण आवेदन पत्र पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।

(छ) चयन एवं नामांकन के संबंध में प्रबंधन का निणर्य अंतिम एवं मान्य होगा।

(ज) अध्ययन ऋण का कुल जमा सेवा अवधि में चुकाना होगा।

(झ) चयनित आवेदिकाओं को नामांकन के समय 10 पासपोर्ट साईज फोटो (रंगीन) जमा करना होगा।

(ञ) चयनित आवेदिकाओं को 2 वर्ष का प्रशिक्षण कोर्स पूरा करना अनिवार्य है। किसी कारणवश प्रशिक्षण पूरा नहीं करने से पूरे 2 वर्ष का शुल्क जमा करना होगा।

शुल्क –

S.No.	Particulars	Amount
1	Admission Fee	5,000.00
2	Computer Fee	1,000.00
3	Tution Fee 3000x3 months	9,000.00
4	Exposuer Fee	4,000.00
5	Lab Fee	1,500.00
6	Games	500.00
7	School Development	3,000.00
8	Library Fee	1,500.00
9	English Class	1,000.00
10	Mess Fee 2000x3 months	6,000.00
11	Hostel Fee 1000x3 months	3,000.00
12	Course Books	4,500.00
13	Uniform	3,000.00
	Total	**43,000.00**

मासिक शुल्क

Monthly Fee	Amount
Tution Fee	3,000.00
Mess Fee	2,000.00
Hostel Fee	1,000.00
Total	**6,000.00**

दूसरी किस्त

Particulars	2nd Year
Re- Admission	5,000.00
Exposuer Fee	2,500.00
Library Fee	500.00
Lab Fee	500.00
Development	1,500.00
Total	**10,000.00**

हेपेटाइटिस से बचने के लिए टीके हेतु शुल्क, परीक्षा शुल्क डिप्लोमा और रजिस्ट्रेशन शुल्क छात्राओं को चुकाना है, इनमें समयानुसार परिवर्तन लाया जा सकता है।

छुट्टियाँ

प्रतिवर्ष चार सप्ताह की वार्षिक छुट्टी और बीमार पड़ने पर 10 दिनों की अस्वस्थता छुट्टी दी जाती है। यदि कोई छात्रा रोग या किसी कारणवश दिए हुए छुट्टी के अलावा छुट्टी लेती है तो उसे प्रशिक्षु के शिक्षण सत्र की पूर्ति हेतु प्रशिक्षण पूर्ण होने के बाद भी पूरा करना होगा अन्यथा प्रशिक्षण अपूर्ण माना जाएगा। यदि अस्वस्थता में रहे तो उसे प्रशिक्षण के अंत में इन दिनों की पूर्ति करना होगा।

सामान्य नियम व शर्तें

1. प्रशिक्षण की अवधि में प्रशिक्षणार्थियों को छात्रावास में रहना होगा तथा स्कूल एवं हॉस्पीटल के सभी नियमों एवं हॉस्पीटल के सभी नियमों एवं अनुशासन का पालन करना होगा। उसे शुल्क तथा भोजन शुल्क प्रत्येक महीने की 5वीं तारीख तक अकाउण्ट कार्यालय में जमा करना होगा ।
2. कार्य अवधि में प्रशिक्षणार्थियों को को निर्रधारित पोशाक पहनना होगा ।
3. प्रशिक्षणार्थियों को अभ्यास प्रशिक्षण कार्य (Practical Training Duties) प्रेरितों की रानी हॉस्पीटल / स्वास्थ केन्द्र या स्वीकृति अन्य केन्द्र में करना होगा ।
4. प्रशिक्षणार्थियों को झारखण्ड पंजीयन परिषद (Jharkhand Registration Council) के द्वारा आयोजित परीक्षा मे उर्त्तीर्णाक लाना होगा, तभी अगले वर्ष का प्रशिक्षण जारी रख सकगें।
5. प्रशिक्षणार्थियों को अस्पताल परिसर में अनावश्यक विलंब नहीं करना है।
6. प्रशिक्षणार्थियों को पारी मे सभी प्रकार की नर्सिंग ड्यूटी करना होगा, और प्राचार्या तथा प्रबंधन के नियमों एवं आदेशों का पालन करना पडेंगा।
7. प्रशिक्षणार्थियों को 2 वर्ष के अध्ययन एवं प्रशिक्षण समाप्ति के पश्चात स्कूल या हॅास्पीटल प्रबंधन के द्वारा निर्धरित संस्थान में कार्य करने संबंधी अनुबंध पत्र पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य होगा।
8. सेवा काल के दौरान किसी भी समय किसी कारण से प्रबंधन छात्रा की सेवा से संतुष्ट नहीं हो या छात्रा स्वयं सेवा कार्य त्याग दे तो वह 15000/– रूपये प्रतिवर्ष देने की उत्तरदायी होगी।
9. स्थानीय प्रशिक्षणार्थीयों के लिये केवल माता–पिता ही अभिभावक होंगे। दूसरों के लिए माता–पिता स्थानीय अभिभावकों को अधिकृत कर सकते हैं। ऐसे स्थानीय अभिभावकों का 2 फोटो और पता एवं फोन नंबर नामांकन के समय जमा करना होगा
10. प्रशिक्षणार्थियों को साफ, सुव्यवस्थित और उचित पोशाक पहनना होगा। मंहगे वस्त्र एवं गहने वर्जित है।
11. छात्राओं को प्रशिक्षणार्थी नर्स संघ का सदस्य बनना अनिवार्य होगा।
12. खीस्तीय प्रशिक्षणार्थियों को खीस्तीय धर्म सिद्धान्त संबंधी क्लास तथा आध्यात्मिक साधन में भाग लेना होगा। उन्हें पवित्र मिस्सा तथा माला बिनती में प्रतिदिन भाग लेना अनिवार्य है।
13. प्रशिक्षण के दौरान तथा अनिवार्य सेवावधि में प्रशिक्षुओं को विवाह की अनुमति नहीं दी जाएगी।
14. मुलाकातियों को क्लास एवं कार्यावधि में एवं सायं 4 बजे के बाद मिलने की अनुमति नहीं है। केवल महीने के दूसरे सप्ताह में मुलाकात कर सकते है।
15. प्रशिक्षण सत्र में जब नियमित क्लास जारी हो तो छात्राओं को किसी प्रकार की छुट्टी नहीं दी जाएगी। यदि अतिरिक्त आकस्मिक छुट्टी ली जाती है तो उसे प्रशिक्षण के अंत में पूरा करना होगा।
16. यह विवरणिका ओर नामांकन की तिथि, परीक्षा आदि परिवर्तनीय है। उस प्रकार के परिवर्तन सभी छात्राओं के लिए अनुदर्शित एवं मान्य होंगे ज्यों भी कि उनका नामांकन उक्त परिवर्तन के पूर्व हुआ हो।
17. जिन आवेदिकाओं का चयन हो जाता है उनहें नामांकन के समय विवरणिका को लाना होगा यह उनकी हस्त पुस्तिका के रूप में प्रयुक्त होगी।
18. फर्नीचर उपकरणों के टूटने पर सूचित करना एवं स्वयं मरम्मत की जिम्मेवरी होगी।
19. प्रशिक्षणार्थी स्वर्णाभूषण, मोबाइल फोन आदि नहीं रख सकते येा कोई अन्य कीमती चीज छात्रावास में रखना वर्जित है।
20. प्रशिक्षणार्थी पिकनिक, यात्रा सामूहिक कार्य हेतु रूपये बिना प्राचार्या की अनुमति के बिना चंदा नहीं कर सकेंगे।
21. शिक्षिकाओं और अन्य प्रबंधकों को किसी भी प्रकार का उपहार देना पूर्णतः वर्जित है।
22. बॉन्ड एवं फीस पूरा करने के पश्चात ही सिर्फ नर्सिंग प्रमाण पत्र और स्कूल सर्टिफिकेट दिया जाएगा।

नोट – शुल्क संरचना प्रबंधन के स्वविवेक पर परिवर्तनीय है।

अनुबंध काल

प्रशिक्षण संस्थान प्रशिक्षणार्थी से यह अपेक्षा करता है कि प्रशिक्षण संस्थान अथवा अस्पताल या संबंध स्वास्थ्य केंद्र में दो वर्ष सेवा के अनुबंध पत्र पर सहमति हस्ताक्षर करें।

अनुबंध (सेवा अवधि) नियमावली

सेवा अवधि में किसी भी समय किसी गंभीर कारणवश अगर प्रशिक्षण संस्थान अथवा अस्पताल प्रशासन को सेवा अवधि में किसी परिचारिका की सेवा स्वीकार न होने की स्थिति में अस्पताल प्रशासन उक्त पात्र से प्रथम वर्ष की सेवा अवधि में 25000/– (पच्चीस हजार) रूपये एवं द्वितीय वर्ष की सेवा अवधि में 15000/– (पंद्रह हजार) रूपये भुगतान करने का आदेश पारित कर भुगतान करने को बाध्य कर सकता है।

प्रशिक्षण के लिए चयनित छात्राएँ अपने साथ निम्नलिखित चीजें लेते आएँ

1. ताला सहित एक सूटकेस या बॉक्स
2. दो बेडसीट ओर तकिया खोली
3. मच्छरदानी
4. कम्बल स्वेटर एवं अन्य गर्म कपड़े
5. दो बाल्टी एवं मग
6. टिफिन कैरियर तीन चार खण्डों वाला, चम्मच, ग्लास
7. छाता एवं टॉर्च
8. कलाई घड़ी (सेकेण्ड की सूई के साथ)
9. रजिस्टर, नोट कॉपी, कलम, स्केच पेन, पेन्सिल, स्केल रबर आदि
10. हिन्दी अंग्रेजी डिक्शनरी

अमर ज्योति स्कूल ऑफ नर्सिंग
(ए.एन.एम. स्कूल)
पी.ओ. – चान्हों, जिला – राँची, झारखण्ड, पिन – 835214
मोबाईल नं – **8877057407**